

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लाल पुरा

## आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का निमोडिया  
व भूअ.नि. वृत्त निमोडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकड़ा / नायब  
तहसीलदार चाकड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निमोडिया तहसील चाकड़ा व जिला जयपुर  
की जमाबंदी सम्वत् 2025-28 में खाता संख्या 428  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | ग्राम    | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि<br>अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------|-------------|---------------------------------------|--|
| 1        | निमोडिया | 428         | मूली पत्तन<br>रामनिवास                | मूली पत्तन रामनिवास  |

क्रमांक:- राजस्व/2021/3809

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मूली पत्तन रामनिवास को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

गिरधारी लाल पुरा  
लोक अदालतकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड न्यायालय  
चाकसू जयपुर

दिनांक 11/12/21

शिलीकर अत्रालतरी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू जयपुर